

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 27 जुलाई, 2020 / 05 श्रावण, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

1. कृषि :

संख्याः श्रम (ए)4–2/2018–लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20–05–2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से 275/— रुपये प्रतिदिन या 8,250/— रुपये प्रतिमास की दर से संशोधित करते हैं :---

टिप्पणी:

- 1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, मज़दूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी / वृद्धि लागू होगी।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी :-

अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 21 जुलाई, 2020

2. सडकों का निर्माण या रख–रखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग) :

संख्याः श्रम (ए) 4—2/2018—लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रख—रखाव या निर्माण संक्रियाओं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन

के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2020 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20–05–2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :——

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित	मजदूरी
क्षमकारा के प्रयंग	सराग्यत दैनिक	मजदूरा मासिक
अकुशल कर्मकार :	पागपर	नासपर
भिशती / चिमनी क्लीनर / चौकीदार / डिस्टेम्परर ग्रेड—II / गलेजियर /	रुपए	रुपए
पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन	275.00	1
ब्रिकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/बिटुमन के लिए स्प्रे मैन/पाईप लाईन	275.00	8,250.00
मैन / इलैक्ट्रिकल कुली / सिक्योरिटी—गार्ड / बेलदार / क्लीनर / ट्रैक्टर /		
रोड रोलर व कंकरीट मिक्सर/मजदूर/सर्वे बॉय/वाचमैन/टी		
बॉय/पीअन(चपरासी)/ड्रेसर/आयल मैन/ग्रीसर/मैस हैल्पर्ज/बॉय		
हैल्पर (0 से 5 साल)/खलासी (0 से 3 साल)/बिल डिस्ट्रीब्यूटर/		
मक्कर।		
1447()		
अर्धकुशल कर्मकार :		
कारपेन्टर ग्रेड—II/मैसन ग्रेड—II/स्यूअर मैन/ब्लैक स्मिथ ग्रेड— II/	रुपए	रुपए
सैनिटरी फिटर ग्रेड-II/पेन्टर/मैल्टरमेट/स्प्रे-मैन रोडज/क्रेन-मैन/	292.00	8,760/-
बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट / ब्लैक स्मिथ (बोट मैन) /	_, _,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
क्रेन-मैन / डिस्टैम्परर ग्रेड-I / फिटर ग्रेड-II फ्लोर-पालिशर / स्टोन		
ड्रेसर / माली / बैल-सिंकर / वाइट-वाशर / वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड-II,		
टर्नर-ग्रेड-II / पाईप फिटर ग्रेड-II / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर /		
सहायक फायर मैन / सहायक वैलंडर / सहायक टर्नर / बैटरी चार्जर /		
ड्रैसर (अर्हित / अनुभवी) / हैमरमैन / कुंक / वल्कनाईज़र / नोजल मैन /		
टनल मैन/एलॉए ट्रोली आपरेटर/एटेन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल		
एटैन्डैन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 साल और अधिक) /	1½" से 2 इंच	1630.42/-
आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन / सहायक-लैवलर /	रुपए प्रति सौ घन	<u> </u>
खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन–ड्रैसर / पम्प–एटैन्डेन्ट / आटो इलैक्ट्रिशियन		
ग्रेड—II / गार्डनर / गेज—रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट / आटो	1 से 1¼" इंच त	
इलैक्ट्रीशियन / मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टैलीफोन एटैन्डेन्ट /	1818.64 रुपये	प्रति सौ घन
स्टोन-ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन-कैशर।	फुट	
कुशल कामगार :	रुपये	रुपये
कारपेन्टर ग्रेड—I / मैसन ग्रेड—I / ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड—	319.17	9,575/-
I/अप-होलसल्टरं ग्रेड-I/सहायक पम्प ओपरेटर/पम्प ओपरेटर/पम्प		
ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड–II / जल आपूर्ति फिटर / कारपेन्टर ग्रेड–II /		
कम्प्रेसर आपरेटर/कम्प्रेसर ड्राईवर/दर्जी या टेलर ग्रेड-I/दर्जी या		

टेलर ग्रेड-II / क्रशर ड्राईवर / अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर /		
पलम्बर ग्रेड–I/पाईप फिटर ग्रेड–I/आटो ड्राईवर/सहायक		
मकैनिक / मिक्सर ड्राईवर / मिक्सर आपरेटर / संरचानात्मक फिटर		
ग्रेड—II / वर्कशाप फिटर / जनरेटर आपरेटर / जनरेटर ड्राईवर / प्लांट		
शाप फिटर/ डीजल इंजन फिटर/ट्राली लाईन फिटर/क्रिशंग प्लांट		
फिटर/(बी0) प्लांट फिटर/जैक हैमर फिटर/इलैक्ट्रीकल फिटर/बन्च		
फिटर/शेपर/ आटो फिटर/पाईप लाईन फिटर/रैफ्रिजरेटर प्लांट		
फिटर / ट्रैक्टर-आपरेटर / शाफट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर		
आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सक्रेपर-आपरेटर / लोडर आपरेटर / क्रेन		
आपरेटर / युकलिड-आपरेटर / वैगन ब्रिलआपरेटर / बोरिंग आपरेटर /		
एस०एल०डी० क्रेन आपरेटर/(बी०) प्लांट आपरेटर/आईस प्लांट		
आपरेटर या वैल्डर/गैस कटर/टर्नर/ब्लैक स्मिथ/टिन स्मिथ/ट्रैक्शन		
वैटरी चार्जर/लाईनमैन टैलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार/		
वाईन्डर/ ब्लासटर ड्रिलर/बिन्च फिटर/कम्पाऊन्डर/पेन्टर/मिलर/		
क्लाइमबर/ मोल्डर/लेबलरज सॉ मिल कटर/केबल जवाइन्टर/		
फोरमैन ग्रेड–II/ खलासी (8 साल से अधिक)/ट्रेसर आपरेटर/		
ई०एम०ई० / ड्राईवर / कमप्रेसर / रौकर शावल आपरेटर / स्नो कटर		
आपरेटर / लोको आपरेटर गलेजड टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर		
मैसन / वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राईवर / टैलीफोन मकैनिक /		
डी०जी० सेट आपरेटर/ वर्कशाप फोरमैन ग्रेड–III.		
उच्च कूशलः	रुपये	रुपये
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर/वर्कशाप मकैनिक ग्रेड- I/ चार्ज मैन	379.50	11,385 / -
ग्रेड—I / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड—I / टर्नर ग्रेड—I / मकैनिक आल राउन्डर		ŕ
आपरेटर / मैसन / मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर		
ग्रेड—I / सर्वेयर / ड्राफ्टसमैन / सहायक फोरमैन / मशिनिस्ट / कम्पाऊन्डर		
(अर्हित) / रोड ं रोलर ड्राईवर / बुलडोजर ड्राईवर / वायरमैन / आटो		
इलैक्ट्रीशियन / इलैक्ट्रीशियन / कैमिकल एनालाईजर।		
लिपिक और गैर-तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ :	रुपये	रुपये
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर/रोड इन्सपैक्टर/वर्क इन्सपैक्टर/स्टोर—	319.17	9,975 / -
कीपर / स्टोर-मुंशी / सुपरवाईजर / मीटर-रीडर / लैजर बुकिंग क्लर्क /		,
बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग क्लर्क / पटवारी / कम्पलेंट एटैन्डेन्ट /		
फैरो-प्रिटंर/ड्राईवर (जीप/ कार/ ट्रैक्टर)/ क्लर्क/ मैकेनिकल		
इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टैनोग्राफर ।		
<u> </u>	I	1

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्याक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।

- 6. गैर—जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 21 जुलाई, 2020

3. लोक मोटर परिवहन :

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018—लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों व अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2020 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—04—2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :--

अकुशल सामान्य कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ) :

		रुपए	रुपए
(ক)	चपरासी, चौकीदार, स्टोर—हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी	275 / — रुपये प्रतिदिन	8,250 / — रूपये प्रतिमास
(ख)	वर्कशाप–स्टाफ (अकुशल)		
(ग)	वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है	275 / — रुपये प्रतिदिन	8,250 / —रुपये प्रतिमास
अर्ध—	कुशल :	रुपए	रुपए
	नहायक इलैक्ट्रीशियन	285.17 / -रुपये	8,555 / —रुपये
	तहायक मकैनिक	प्रतिदिन	प्रतिमास
	नहायक फिटर		
	नहायक ब्लैक स्मिथ		
	नहायक कारपेंटर		
	नहायक वैल्डर		
	नहायक टर्नर		
	नहायक बोरिंग बारमैन		
	महायक मशीनिस्ट 		
	सहायक कुशन—मेकर		
	सहायक बोल्केनाइजर सहायक पेंटर		
	सहायक अपहोलस्टर		
	सहायक अपहालस्टर सहायक टायरमैन		
	सहायक स्प्रेमेन		
	सहायक इलेक्ट्रीशियन मकैनिक		
	सहायक रिट्रीडर		
	वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई0 टी0 आई0 का		
10.	सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो		
	और जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो।		
19.	सहायक मोल्डर		
कुशल	:	रुपए	रुपए
	क, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग—वायरमैन,		रुपये 9,346
	ोस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर,	प्रतिदिन	प्रतिमास
	ल्सटर, टायरमैन, स्प्रेपेंटर, इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रीट्रीडर,		
	र, टर्नर वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई०टी०आई०		
	केकेट हो या जिसकी दो दो वर्ष की परिवीक्षरा अवधि हो		
	जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आई०टी०आई०		
सटिपि	केकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है।		

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ :	रुपए	रुपए
हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रीशियन / गैरेज सुपरवाईजर	345.50 प्रतिदिन	10,365 / — प्रतिमास
जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदिः	укпут	MICHICI
ग्रुप-ए:	रुपए	। रुपए
आऊट ऐजेंट, आऊट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट,	311.52	9,346 / —
स्टोर डे बुक राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग–क्लर्क	प्रतिदिन	प्रतिमास
(रिस्टोरर) लैजर कीपर, पैट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट।		
ग्रुप-बी :	रुपए	रुपए
मुख्य निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड/	327.50	9825/-
स्टेशन सुपरवाईजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार,	प्रतिदिन	प्रतिमास
कैशियर, टायर—निरीक्षक।		
ग्रुप—सीः	रुपए	रुपए
हैड एसिस्टैन्ट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर	386.25	11,588 / —
	प्रतिदिन	प्रतिमास
रनिंग–स्टाफ :	रुपए	रुपए
1. ड्राईवर	349.12	10,474 / —
	प्रतिदिन	प्रतिमास
2. कन्डकटर	318.60	9,558 / -
	प्रतिदिन	प्रतिमास
3. कलीनर—कम—कन्डकटर	298.12	8,944 / -
	प्रतिदिन	प्रतिमास
4. पार्ट टाईम बुकिंग क्लंक	168.72	5,062 / -
	प्रतिदिन	प्रतिमास

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यााक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:

(i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशल.—अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 21 जुलाई, 2020

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान :

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्युनतम दरों को 01—04—2020 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—04—2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :—

कर्मचारियों का प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा	जहां भोजन, चाय,
	उपलब्ध नहीं	और संयुक्त आवास,
	करवाई गई है	सुविधा उपलब्ध
		करवाई गई है
अकुशल :	रुपए	रुपए
हैल्पर/शॉप-एसिस्टैंट/पल्लेदार / चौकीदार / चपड़ासी/	275.00 प्रतिदिन	249.47 प्रतिदिन
स्वीपर/मसालची/ गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर/पैकर/	8,250.00 मासिक	7,484 / — मासिक
मजदूर/लेन्डर/अनलेन्डर/मसेंजर/क्लाकरूम अटेंडैन्ट/		
पोर्टर / भिस्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई		
अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो।		

अर्धकुशल:	रुपए	रुपए
हैडपोर्टर/पेंटरीमैन/काफी टीमेकर/चपातीमैन/सहायक—	290.55 प्रतिदिन	264.12 / — प्रतिदिन
बेकर / गेट-कीपर (सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक-	तथा	७,९२४ / — प्रतिमाह
आपरेटर/वाइंडर एसिस्टेंट बिल-कलैक्टर/कनवैसर/कुक/	8,717 / — प्रतिमाह	
एसिस्टैंट हलवाई/बुक बाईंडर/स्टीचर/ रूलिंग-कटिंग		
औक्शनर / माली / सीवरमैन / होटल गाईड / सहायक मिस्त्री /		
सहायक फिटर/सहायक टर्नर/सहायक वैल्डर/ सहायक		
इलैक्ट्रीशियन / सहायक वैल्डर / सहायक सेल्जमैन / सहायक		
बारबर/धोबी/प्रैसमैन/ ब्वायलर–मैन/ फिल्म–रिवाईंडर/		
वेटर/ वीयरर/ऐसिस्टैंट रेडियो मकैनिक/ पेंटर/वाईट		
वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर / क्लर्क / (नॉन–मैट्रिक)		
सहायक स्टोर कीपर/डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक मशीनमैन/		
इनक्वाअरी एटैन्डैन्ट/टेलीफोन एटैन्डैन्ट आई0 टी0 आई0		
प्रमाण–पत्र सर्टिफिकेट धारक।		
		
कुशलः	रुपए	रुपए
ब्लैक स्मिथ / टीनस्मिथ / वाचमेकर / रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / ड्राईवर / सहायक टेलर / कटर	319.17 प्रतिदिन 9,575 / — मासिक	293.37 दैनिक
(टेलरिंग)/ जनरल मकैनिक/हलवाई/कुक/कन्फैक्शनर/	9,575 / — मासक	8,801 / — मासिक
(८लारग) / जनरल नकानक / हलपाइ / कुक / कम्फक्शनर / बेकर / टूवार्ड / बटलर / फिटर / ड्राफ्टसमैन / टैलीफोन—		
अोपरेटर / कम्पाऊंडर / गोल्डस्मिथ / शू—मेकर / शाल कारपेट		
वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन/		
द्रादिग / केन्साजटर / सिनना आपरटर / संस्कानग/		
प्रशिवस्तानि । प्रतिवासिक विषयः / स्तुतरं निरानिन / प्रिकुलेट) /		
मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर / वियरर स्टोर — कीपर / हैड वेटर /		
हिड-वीयरर (वेस्टरन स्टाईल होटल)/लाईनमैन आई०टी०		
आई० प्रमाण–पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों।		
उच्च-कुशल :	रुपए	रुपए
स्टोर कीपर/क्लर्क (ग्रेजुएट)/लेखाकार/मुख्य खजानची/	332.12 दैनिक	307.40 दैनिक
हैड कुक / हैड बटलर / हैड बेकर / हैड कन्फैक्शनर / हैड	9,964 मासिक	9,222 मासिक
मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाईजर / टेलर / कटर		
(टेलरिंग)।		

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्याक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशल.—अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 21 जुलाई, 2020

5. वानिकी उद्योग :

संख्याः श्रम (ए) 4—2/2018—लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2020 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—04—2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2020 / 05 श्रावण, 1942 2119 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :-

	कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित	न्यूनतम मजदूरी
	प्राप्तारा प्राप्तारा प्राप्ता	दैनिक	मासिक
1.	अकुशल कर्मकार :	ידו ודי	111 11 77
	1. वृक्षों का गिराना	रुपए 275.00	रुपए 8,250/-
	2. लेबर (छांगी)	रुपए 290.55	रुपए 8,717 / -
	3. फैलर (गिरानी)	रुपए 281.12	रुपए 8,434 / -
2.	लागिंग एण्ड साईंग टिम्बर पासिंग सहित	. 13 201112	. 13 0/101/
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 281.12	रुपए 8,434 / —
	2. सायर (चिरानी)	रुपए 345.50	रुपए 10,365 / —
	3. ब्लैकरिमथ	रुपए 324.40	रुपए 9,732/-
3.	ढुलान, ढेरी लगाना और शारिरीक श्रम द्वारा इमारती लक		, , ,
	1. ढुलाई के लिए मजदूर	रु पए 281.12	रुपए 8,434 / –
	2. इमारती लकड़ी को लादने और उतारने के लिए	रुपए 281.12	रुपए 8,434 / -
	मजदूर।	·	,
4.	रज्जुमार्गे द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई:		
	1. रपैन मिस्त्री–कम–सुपरवाईजर	रुपए 345.50	रुपए 10,365/-
	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 324.40	रुपए 9,732/-
5.	पक्की नाली, (वॉटर स्लाईड) पत्थरू (ड्राई स्लाईड), नाल	Т	
	बहान और दरिया बहान और (रिवर फलोटिंग) द्वारा ढुला	ई :	
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 370.15	रुपए 11,105/-
	2. तारू	रुपए 355.27	रुपए 10,658/-
	3. असिसटैंट मिस्त्री (हैल्पर मिस्त्री)	रुपए 332.12	रुपए 9,964 / —
	4. दरियामैन	रुपए 355.27	रुपए 10,658/-
	5. घालू	रुपए 302.17	रुपए 9,065/-
	6. जमादार	रुपए 302.17	रुपए 9,065/-
6.	यत्रींकृत लोगिंग और लकड़ी की निकासी :		
	1. सर्वेयर	रुपए 347.57	रुपए 10,427 / —
	2. स्काई लाईन आपरेटर	रुपए 324.40	रुपए 9,732/-
	3. ट्रक ड्राईवर	रुपए 304.30	रुपए 9,129/-
	4. कम्प्रेशर ड्राईवर	रुपए 304.30	रुपए 9,129/-
7.	क्लैरिकल स्टाफ :		
	1. मैनेजर	रुपए 400.12	रुपए 12,004 / —
	2. एकाउन्टैंट	रुपए 308.97	रुपए 9,269 / —
	3. मुन्शी / टाईपिस्ट क्लर्क	रुपए 281.12	रुपए 8,434 / —
8.	सॉ मिल वर्कर :		
	1. बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 324.40	रुपए 9,732/-
	2. सुपरवाईजर	रुपए 321.29	रुपए 9,639/-
	3. हैड मिस्त्री	रुपए 324.40	रुपए 9,732/-
	4. वायलर ड्राईवर	रुपए 324.40	रुपए 9,732/-
	5. एसिसटैंट मिस्त्री	रुपए 285.17	रुपए 8,555/-
	6. पलेनर मिस्त्री	रुपए 285.17	रुपए 8,555/-
	7. हैल्पर	रुपए 281.12	रुपए 8,434 / -
	8. कटर मैन	रुपए 281.12	रुपए 8,434 / –
	0. P0. 11	V 13 ZU1.1Z	V 15 0,707/

9.	कत्था एक्सट्रैक्शन :		
	1. फैलर तथा चिपर	रुपए 281.12	रुपए 8,434 / -
	2. कत्था सुपरवाईजर / कत्था प्रौसेसर	रुपए 280.55	रुपए 8,417/-
उच्च	। कुशल :		
	बॉयलर एटैण्डैन्ट (प्रथम श्रेणी) ओवरसियर, हैडफोरमैन।	रुपए 379.50 दैनिक	रुपए 11,385 / – मासिक

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्याक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगीः

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

रसायन एवं रसायनिक उत्पाद :

संख्याः श्रम (ए) 4—2/2018—लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रसायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01—04—2020 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2 / 2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—04—2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :—

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित	न्यूनतम दरें
	दैनिक	मासिक
अकुशल :	रुपए	रुपए
	275.00	8,250
अर्द्धकुशल :		
एसिसटैंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, ऐसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकिस्मिथ, एसिसटेंट—कापरमैन, री—इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट—कलटीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड—I, मशीन लेवलर, सलैक्टर, कटर—कम—मार्किट सैलर अम्पुलर, हैगमैन, आई0टी0आई0 प्रमाण—पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।	रुपए 283.47	रुपए 8,504 / —
कुशलः	दैनिक	मासिक
साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर मैसन, कारपेंटर, एसिसटेंट—फोरमैन, हैड—जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड—II, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन ड्राईवर, ड्राफ्टसमैन, एसिसटेंट—कैमिस्ट, मशीनमैंन, कैशियर / क्लर्क (मैट्रिकुलेट), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर आई0टी0आई0 प्रमाण—पत्र (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है।	रुपए 319.17	रुपए 9,575 / -
उच्च–कुशल :	दैनिक	मासिक
बॉयलर अटेंडैंट (प्रथम श्रेणी), ओवरसीयर, हैड फोरमैन	रुपए 379.50	रुपए 11,385

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्याक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
 - 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 - 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 - 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशल.—अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोज़मर्रा के निश्चित् स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

इंजीनियरिंग उद्योग :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018–लूज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पिटत धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—04—2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :——

अकुशल :	दैनिक	मासिक
	रुपए	रुपए
	275.00	8,250
अर्द्धकुशल :	दैनिक	मासिक
टेपर ग्रेड-III, र्टनर ग्रेड- III, ड्रीलर ग्रेड- III, रोमर ग्रेड-III, शेयर	रुपए 283.47	रुपए 8,504
मैन ग्रेड—III, मशीनमैन, मशीनिस्ट/आपरेटर ग्रेड—III, ब्रजर ग्रेड— III,		
हैड स्पीनिंग बाईंडर/लाईनर ग्रेड-III, प्रैस आपरेट्र ग्रेड-III, स्प्रे		
पेंटर ग्रेड-III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड-III, असैम्बलर ग्रेड-III, कोबलर,		
रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड–III, मैटिरियल चैकर, फिटर फ्रेम,		
नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड—III, मोपर ग्रेड—III,		
ग्राईंडर ग्रेड—III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड—मकैनिक, आपरेटर		
ग्रेड—III, थ्रेड / रोलर आपरेटर ग्रेड—III, बुक स्क्रयू मशीन आपरेटर		
ग्रेड-III, फीडर ग्रेड-III, डाइमेकर ग्रेड-III, वैल्डर ग्रेड-III,		
टिनस्मिथ ग्रेड—III, पाईपरीडर, हेमरमेन ग्रेड—III, इलैक्ट्रिक लाईनमैन		
ग्रेड–III, वाऊचर इन्सपैक्टर ग्रेड–III, लिस्टर डीजल ईंजन ड्राईवर		
ग्रेड—III, आयलमैन।		
कुशल:	दैनिक	
टेपर ग्रेड—II, टर्नर ग्रेड—II, ड्रिलर ग्रेड—II, शैपर ग्रेड—II, शैपर मैन ग्रेड—II, स्लाटरमैन ग्रेड—II, मकैनिस्ट आपरेटर/ब्रजर ग्रेड—II, लाईनर		मासिक
ग्रेड—II, स्त्री पेंटर ग्रेड—II, नकानस्ट आपरटर/ ब्रजर ग्रेड—II, लाइनर ग्रेड—II, स्त्रे पेंटर ग्रेड—II, ट्रांस्फर मिकसर ग्रेड—II, प्रैस आपरेटर	रुपए 319.17	रुपए 9,575
ग्रेड—II, असैबंलर ग्रेड—II, टेलर ग्रेड—II, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड—II, मोपर		
ग्रेड—II, असंबर्धर ग्रेड—II, टेलर ग्रेड—II, इलप्ट्रान्सटर ग्रेड—II, नापर ग्रेड—II, ग्राईंडर ग्रेड—II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड—II, थ्रेड और रोलर		
मशीन आपरेटर ग्रेड–II, बुक स्करयू मशीन आपरेटर ग्रेड–II, गोल्ड		
्रा मशीन आपरेटर ग्रेड–II, फिटर ग्रेड–II, कारपैंटर ग्रेड/पैटरन		
मेकर ग्रेड–II, डाईमेकर ग्रेड–II, साइस्टर ग्रेड–II, वैल्डर ग्रेड–II,		
टिनस्मिथ ग्रेड—II, हैमरमैन ग्रेड—II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड—II, टूलसैटर		
ग्रेड—II, इलैक्टीकल लाईनमैन ग्रेड—II, इलैक्ट्रीशन ग्रेड—II, आरमैचर		
वाईंडर और क्वायल बाईंडर ग्रेड—II, केबल ज्वाईंटर ग्रेड—II, वाऊचर		
इंस्पैक्टर ग्रेड–II, लिस्टर डीजल इन्जन ड्राईवर ग्रेड–II, मोल्डर		
ग्रेड—II, स्परवाईजर आई0 टी0 आई0 प्रमाण—पत्र धारक जो उसी ट्रेड		
में कार्यरत है।		
उच्च-कुशल : टर्नर ग्रेड-I, ग्राईंडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड-I, शेपर मैन ग्रेड-I,	दैनिक	मासिक
्टनर ग्रंड—I, ग्राहाडग मशान आपस्टर ग्रंड—I, शपर मन ग्रंड—I, सलाटरमैन ग्रेड—I, मिलर ग्रेड—I, इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड—I, गोल्ड ड्रॉ		
सलाटरमन ग्रंड—1, 1मलर ग्रंड—1, इलक्ट्रापलटर ग्रंड—1, गाल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड—I, फिटर ग्रेड—I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड—I,	यारुपए 379.50	रुपए
नशान आपरेटर ग्रंड—I, ।फेटर ग्रंड—I, कारपटर/ पटन नकर ग्रंड—I, डाईमेकर ग्रेड—I, एन्ग्रेवर ग्रेड—I, ब्लैकस्मिथ ग्रंड—I, डाईसैटर ग्रंड—I,	379.50	11,385
डाइमकर ग्रंड—1, एनग्रवर ग्रंड—1, ब्लकासमय ग्रंड—1, डाइसटर ग्रंड—1, टूल सैटर ग्रेड—I, इलैक्ट्रीशियन ग्रेड—I.		
ूर्ण राज्य अ७—1, वृरापप्रारायमा अ७—1.		

क्लैरिकल स्टाफ :		
कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर	दैनिक	मासिक
	रुपए	रुपए
	295.02	8,851

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्याक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
 - 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 - 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 - 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित् स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जुलाई, 2020

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन) :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018–लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—04—2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित	
	न्यूनतम	मजदूरी
चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाडनें, स्प्रे करने,	दैनिक	मासिक
खाद देने, छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, कांट–छांट	रुपए	रुपए
करने, गुड़ाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार	275.00	8,250 / -
के नाम से ज्ञात नियोजित।		

ए—ग्रेड पत्तियां——यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला.—12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे **19.89** रु० प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी–ग्रेड पत्तियां.—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 15.74 रु० प्रतिकिलो ग्राम, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी—ग्रेड पत्तियां.—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है, तो उसे 11.73 रु० प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे। पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के—'ए', 'बी व 'सी' ग्रेड के लिए 19.89 रु०, 15.74 रु० और 11.73 रु० प्रतिकिलो की दर से मिलेंगे।

अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 279.57 रु० प्रतिदिन या 8,387/— रु० प्रतिमास मिलेंगे।

कारखाना :

इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला) निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिफ्टिंग मज़दूर, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार, टी ब्वायज, सार्टज, टी—मेकर्ज, टाईम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

रुपए 275 / - दैनिक या रुपए 8,250 / - मासिक

प्लांटेशन :

क्लीनर, असिस्टेंट कलीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीर्ज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली तथा मेट भी शामिल होंगे। रुप**ए 275.00** रुपए दैनिक या रुपए **8,250/**— मासिक

क्लैरिकल और नॉन-टैक्निकल सुपरवाईजरी स्टाफ:

आफिस स्टाफ:

1.	लेखाकार	रुपए 420.22 प्रतिदिन रुपए 12,607 प्रा	तेमास इसके अतिरिक्त	मुफ़्त आवास
2.	लिपिक	रुपए 319.17 प्रतिदिन रुपए 9,575/—	प्रतिमास इसके अतिरि	क्त मुफ़्त आवास
3.	मुन्शी	रुपए 334.53 प्रतिदिन रुपए 10,036/ जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।	– प्रतिमास इसके अति	रिक्त मुफ़्त प्रसुविधाएं
4.	चपड़ासी / चौकीदार / चौधरी ।	रुपए 279.57 प्रतिदिन रुपए 8,387 प्रति लिपिक को अनुज्ञेय है।	मास इसके अतिरिक्त र	मुफ़्त प्रसुविधा जो
			दैनिक	मासिक
5.	कम्पाऊन्डर		रुपए 389.27	रुपए 11,678/-
6.	ड्राईवर (जीप/कार/	⁄ ट्रैक्टर)	रुपए 349.12	रुपए 10,474/-
7.	मकैनिक		रुपए 392.40	रुपए 11,772/-
8.	एसिसटैन्ट मकैनिक		रुपए 347.57	रुपए 10,427/-
9.	इलैक्ट्रीशियन—कम—ग	मकैनिक ग्रेड—I	रुपए 392.40	रुपए 11,772/-
10.	इलैक्ट्रीशियन—कम—ग	मकैनिक ग्रेड—II	रुपए 347.57	रुपए 10,427 / -

टिप्पणी :

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्याक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशल.—अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जुलाई, 2020

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड—ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापनाः

संख्याः श्रम (ए) 4—2/2018—लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि ''कारखाना अधिनियम, 1948'' की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01—04—2020 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—04—2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:——

अकुशल कर्मकार	रुपए २७७.०० प्रतिदिन या रुपए ८,२५०/ — प्रतिमास
अर्द्ध—कुशल	रुपए 283.47 प्रतिदिन या रुपए 8,504/— प्रतिमास

कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द (स्टाफ)	रुपए 319.17 प्रतिदिन या रुपए 9,575/— प्रतिमास
उच्च कुशल	रुपए 379.50 प्रतिदिन या रुपए 11,385 / – प्रतिमास

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

10. होटल और रैस्टोरैंट :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018–लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरैंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2 / 2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20–05–2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:——

कर्मकारों का प्रवर्ग	संशोधित मजदूरी	
	जहां कोई प्रसुविधा	जहां संयुक्त आवास
	उपलब्ध नहीं	और खाना, चाय
	करवाई गई है	आदि की प्रसुविधा
		उपलब्ध करवाई गई
		है
अकुशल :		
हैल्पर / चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन /	रुपए 275.00	रुपए 249.47
वाटरमैन / मसेंजर / क्लाकरूम अटैंडेंट / पोटर / भिश्ती /	दैनिक या	दैनिक या
बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामगार	रुपए 8,250 / —	रुपए 7,484 / —
जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो।	मासिक	मासिक
अर्द्ध कुशल कर्मकारः		
पेंट्रीमैन/काफी–टी मेकर/चपातीमैन/सहायक बेकर/	रुपए 290.55	रुपए 265.11
कुक / सहायक हलवाई / बुक बाईंडर / सटिचर / रूलिंग /	प्रतिदिन या	दैनिक या
कटिंग/ऑक्शनर / माली / होटल गाईड /असिस्टेंट		रुपए 7,953 / -
मिस्त्री / असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर /	मासिक	मासिक
असिस्टेंट वैल्डर/असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन/असिस्टेंट		
सेल्जमैन/असिस्टेंट बारबर/धोबी/प्रैसमैन/वॉयलरमैन/		
फिल्म रिवाईंडर/वाटर वीअर/असिस्टेंट रेडियो मकैनिक/		
पेंटर/वाइट वॉशर/पकौड़ा और चना मेकर/क्लर्क		
(नॉन–मैट्रिक) / असिस्टेंट स्टोरकीपर, असिस्टेंट मशीनमैन /		
इनक्वायरी एटैन्डेन्ट/ टेलीफोन एटैन्डेन्ट/आई0टी०आई0		
प्रमाण-पत्र धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है।		

कुशल कर्मकार :		
ड्राईवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर / बेकर / स्टीवार्ड /	रुपए 319.17	रुपए 293.37
बटलर / ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैप्शनिस्ट /	दैनिक या	दैनिक या
वेटर/वियरर/स्टोरकीपर/हैड वेटर/हैड वीयरर (वेस्टर्न	रुपए 9,575 / —	रुपए ८,८०१ / –
स्टाइल होटल) आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र धारक जो उसी	मासिक	मासिक
ट्रेड में कार्यरत है।		
उच्च–कुशलः		
स्टोर कीपर/क्लर्क (ग्रेजुएट)/अकाऊंटेंट/हैड खजानची/	रुपए 332.12	रुपए 307.40
हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-	दैनिक या	दैनिक या
मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाईजर / टेलर / कटर	रुपए 9,964 / —	रुपए 9,222/-
(टेलरिंग)।	मासिक	मासिक

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्याक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

11. निजी शैक्षणिक संस्थान :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018–लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2 / 2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20–05–2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार रु० 275.00 प्रतिदिन या रु० 8,250 /— प्रतिमाह अर्द्ध—कुशल रु० 290.55 प्रतिदिन या रु० 8,717 /— प्रतिमाह कुशल रु० 319.17 प्रतिदिन या रु० 9,575 /— प्रतिमाह उच्च—कुशल रु० 332.12 प्रतिदिन या रु० 9,964 /— प्रतिमाह

टिप्पणी:

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्याक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
 - 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेत् नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

12. हाईड्रो विद्युत परियोजनाएं :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018–लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाईड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2020 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:——

कर्मकारों के प्रवर्ग	निर्धारित	मजदूरी
अकुशल कर्मकार:	दैनिक	मासिक
चपड़ासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटेन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकावेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकावेटर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, टरनर का सहायक, इलेक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलेक्ट्रीशियन का सहायक, वैल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्परेशर अटेन्डेंट, जनरेटर अटेन्डेंट, टीएम अटेन्डेंट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायरमैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोट्ररी असिस्टेन्ट का सहायक, गोज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलैस ऑपरेटर का सहायक, इन्जन फिटर का सहायक, डीजल ईंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, कलीनर—कम—बेलदार, वॉशर मैन/वाशर मेड, ऑफिस ब्याय, कले कलीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनिंग प्लांट सहायक, सुपरवाईजर का सहायक, मेस सहायक, सफाई कर्मचारी।	₹0 275.00	₹0 8,250 / —
अर्ध-कुशल कर्मकार : किनष्ट पम्प ऑपरेटर, किनष्ट कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, किनष्ट जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, किनष्ट प्लांट ऑपरेटर, किनष्ट नोजलमैन, किनष्ट एक्सकावेटर ऑपरेटर, किनष्ट कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, किनष्ट लोडर ऑपरेटर, किनष्ट टेमरॉक ऑपरेटर, किनष्ट मैकेनिक, किनष्ट ओटो इलैक्ट्रीशियन, किनष्ट वैल्डर, किनष्ट फिटर, किनष्ट टायर फिटर, किनष्ट पेन्टर, किनष्ट पलम्बर, किनष्ट डैन्टर, किनष्ट कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव), किनष्ट कम्परेसर अटेन्डेट, जनेरेटर अटेन्डेट, लोकोमोटिव अटेन्डेट, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेट, सहायक फायरमैन, स्टोन ड्रैसर, लेबोटरी सहायक, गोज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनेरेटर सेट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, वायरलैस ऑपरेटर, किनष्ट डीजल ईन्जन फिटर, किनष्ट पाईप फिटर, दूरभाष अटैण्डेंट, सहायक सरवेयर, कार्यालय अटेन्डेंट, किनष्ट ऑयलर, किनष्ट ड्रिलर, किनष्ट जेसीबी ऑपरेटर, किनष्ट स्क्रेपर, पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कंप्लेंट अटेन्डेंट, किनष्ट इलैक्ट्रीशियन, माली।	₹0 292.00	₹0 8,760 / -

-mf		
कुशल कर्मकार:		
डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बेचिंग प्लांट ऑपरेटर,	रु0 319.17	रु0 9,575 ∕ —
क्रिशंग ऑपरेटर, एक्सकावेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन		
डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जेनटरी ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर,		
लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक / जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वैल्डर,		
ड्रिलर, नोजल मैन, फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर,		
ओटो इलैक्ट्रीशियन, पेन्टर, डैन्टर, मैसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर		
फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क		
इन्सपैक्टर, सुपरवाईजर, कैम्प इन्चार्ज, नॉन–टैकनीकल सुपरवाईजर,		
(माईंनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर,		
हाईड्रो क्रेन ऑपरेटर, सरवेयर, सक्रेप ऑपरेटर, बोबकेट ऑपरेटर, स्कूप		
ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोर्टर बाइर्डर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,		
कैशियर, स्टोर कीपर, लेखा क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक,		
खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), धोबी।		
उच्च-कुशल कर्मकार:		
वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर	रु0 379.50	रु0 11,385 ∕ −
ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ		
प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर		
ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ		
कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ		
इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ		
फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वैल्डर, वरिष्ठ डैन्टर,		
चालक (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वैल्डर एक्सरे,		
केबल ज्वाईंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो		
ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप		
मैकेनिक, कम्पाऊंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिस्टेन्ट,		
फार्मासिस्ट, नर्स, स्टैनोग्राफर, एकाऊटेन्ट, खलासी (8 वर्ष से उपर का		
अनुभव)।		

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
 - जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 - 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 - 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

આંવેશ દ્વારા,
हस्ताक्षरित / –
(कमलेश कुमार पंत),
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018-लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख **24—04—2018** द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2020 को लागू करने की सिफारिश की गई थी। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग	निर्धारित	मजदूरी
अकुशल कर्मकार :	दैनिक	मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाऊस	रु0 275	रु0 8,250 ∕ —
कीपिंग हैल्पर, चपड़ासी।		
अर्द्ध-कुशल कर्मकार :		
तकनीशियन (डी० फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स	रु0 283.47	रु0 8,504 ∕ −
(आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिक्योरिटी गार्ड, एसिसटेन्ट		
स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।		
कुशल कर्मकार:		
आफिसर (बी० फार्मा), टैक्नीकल सुपरवाईजर (आईटीआई डिप्लोमा,	रु0 319.17	रु0 9,575 ∕ —
डी० फार्मा), ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाईजर, इलैक्ट्रीशियन,		
स्टोरकीपर, एकाऊन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री		
ऑपरेटर, कैशियर।		
उच्च-कुशल कर्मकार :		
सेल्ज आफिसर, सेल्ज एग्जिकियूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई,	₹0 379.50	रु0 11,385 ∕ -
मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रजैन्टेटिव, बी० फार्मा, एकाऊन्टेन्ट, बीएससी		
कैमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट, स्टैनोग्राफर।		

टिप्पणी :

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

(i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 21 जुलाई, 2020

14. अस्पताल / नर्सिंग होम और क्लीनिक :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018–लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20–05–2020 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01–04–2020 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
अकुशल कर्मकारः		
हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार/वाचमैन, चपड़ासी, रूम ब्वाय,	रु0 275.00 दैनिक	रु0 249.47 दैनिक
आफिस ब्वाय और वार्ड ब्वाय, मसालची।	या	या
	रु0 8,250 ∕ —	रु0 7,484 ∕ —

	मासिक	मासिक
अर्द्ध–कुशल कर्मकारः		
क्लीनिक अटेन्डेंट, एसिसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन,	रु0 290.55 दैनिक	रु0 264.12 दैनिक
सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर एसिस्टेन्ट,	या	या
एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट	रु0 8,717 ∕ —	रु0 7,924 ∕ —
अटेन्डेंट बार्ड ब्बाय / बार्ड अटेन्डेंट (० से ३ वर्ष सर्विस)।	मासिक	मासिक
कुशल कर्मकार:		
रिसेप्सनिशट फार्मासिस्ट, कम्पाऊण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन,	रु0 319.17 दैनिक	रु0 293.37 दैनिक
एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेंड दाई, इलैक्ट्रीशियन, रेडियो	या	या
ग्राफर, ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसिसटेन्ट, ओवन	रु0 9,575 ∕ —	रु0 8,801 ∕ —
आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर	मासिक	मासिक
एसिसटेन्ट, चालक, सीएसएसडी एसिस्टेन्ट, ऑपरेशन थियेटर		
तकनीशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट, स्टोर कीपर, एकाऊन्टस		
क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,		
कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाईजर, कुक, धोबी वार्ड ब्वाय		
(तीन वर्ष से ऊपर सर्विस)।		
C		
उच्च-कुशल कर्मकार:	3.0	40
स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाईजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रीशियन,	रु0 332.12 दैनिक	रु० ३०७.४० दैनिक
वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियोग्राफर, वरिष्ठ कम्पाऊण्डर,	या	या
एकाऊन्टेन्ट, स्टैनोग्राफर।	रु0 9,964 ∕ —	रु0 9,222 ∕ −
	मासिक	मासिक

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशल.—अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

15. घरेलू कर्मकार:

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018—लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कर्मकार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख **24—04—2018** द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20–05–2020 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01–04–2020 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :——

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा	जहां भोजन, चाय
	उपलब्ध नहीं करवाई	
	गई है	सुविधा उपलब्ध
		करवाई गई है
अकुशल कर्मकारः		
हैल्पर, आया, क्लीनर, मसालची, वॉचमैन, वॉशरमैन	रु0 275.00 दैनिक	रु0 221 दैनिक
	या	या
	रु0 8,250 ∕ —	रु0 6,630 ∕ —
	मासिक	मासिक

अर्ध-कुशल कर्मकार :		
सिक्योरिटी गार्ड, माली	रु0 290.55 दैनिक	रु0 231.88 दैनिक
	या	या
	रु0 8,717 ∕ —	रु0 6,956 ∕ —
	मासिक	मासिक
कुशल कर्मकार :		
कुक, चालक	रु0 319.17 दैनिक	रु0 251.92 दैनिक
	या	या
	रु0 9,575 ∕ —	रु0 7,558 ∕ —
	मासिक	मासिक

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदुरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

16. सफाई कर्मचारी नियोजन :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018–लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख **24—04—2018** द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2020 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2020 से के अनुसार निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :——

कर्मकारों के प्रवर्ग		
	न्यूनतम	मजदूरी
अकुशल कर्मकारः	दैनिक	मासिक
स्वीपर / सफाई कर्मचारी, बेलदार, कार्टमैन	रु0 275.00	रु0 8,250 ∕ −
अर्ध-कुशल कर्मकारः		
वर्क सुपरवाईजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर,	रु0 283.47	रु0 8,504 ∕ −
एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।		
कुशल कर्मकारः		
चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाऊन्टस क्लर्क, कम्प्यूटर	रु0 319.17	रु0 9,575 ∕ –
ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।		
उच्च कुशल कर्मकारः		
कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपैक्टर, स्टैनोग्राफर	रु0 379.50	रु0 11,385 ∕ −

टिप्पणी:

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध कुशल. अर्द्ध कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

17. सुरक्षा सेवाएं :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018—लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि ''सुरक्षा सेवाएं'' के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख **24—04—2018** द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2020 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

अकुशल कर्मकारः	दैनिक	मासिक
हैत्यर, वॉचमैन	रु0 275.00	रु0 8,250 ∕ −
अर्ध-कुशल कर्मकारः		
सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी,	रु0 283.47	रु0 8,504 ∕ —
कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।		
कुशल कर्मकार :		
सिक्योरिटी सुपरवाईजर, हैड वॉचमैन, स्टोरकीपर, एकाऊन्टस	रु0 319.17	रु0 9,575 ∕ —
क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।		
उच्च कुशल कर्मकारः		
सिक्योरिटी आफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, स्टैनोग्राफर, एकाऊन्टेन्ट	रु0 379.50	रु0 11,385 ∕ −

टिप्पणी:

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर—जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रोइलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशल.—अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – (कमलेश कुमार पंत), प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018–लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2020 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख **24—04—2018** द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2020 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :--

कर्मचारियों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा	जहां भोजन, चाय और
	उपलब्ध नहीं करवाई गई है	संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
अकुशल कर्मकारः	, ,	
चपड़ासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय, बेलदार	रु0 275.00 दैनिक	रु० २४९.४७ दैनिक
	या	या
	रु० ८,250 / — मासिक	रु० ७,484 / — मासिक

अर्ध—कुशलः				
चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट,	रु0 290.55 दैनिक	रु0 264.12 दैनिक		
टेम्पल अटेन्डेंट, भोग रूम अटेन्डेंट, हॉल अटेन्डेंट,	या	या		
सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसीसटेन्ट	रु० ८,७१७/— मासिक	रु० ७,924 / — मासिक		
स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट				
अटेन्डेंट।				
कुशल कर्मकार :				
वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित,	रु0 319.17 दैनिक	रु0 293.37 दैनिक		
कुक, मौलवी, ग्रन्थी, पादरी, स्टोरकीपर, एकाऊन्टस	या	या		
क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,	रु० ९,५७५ / – मासिक	रु० ८,८०१ / – मासिक		
कैशियर।				
उच्च कुशल कर्मकार:				
सुपरवाईँजर, सुपरिन्टेडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन	रु0 332.12 दैनिक	रु० ३०७.४० दैनिक		
गायक, स्टैनोग्राफर, एकाऊन्टेन्ट।	या	या		
	रु० ९,९६४ मासिक	रु0 9,222 मासिक		

टिप्पणी:

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — (कमलेश कुमार पंत) प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2020

19. टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत :

संख्या श्रम (ए) 4-2/2018-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कामगार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2020 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 20—05—2020 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2020 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :——

अकुशल कर्मकारः	न्यूनतम	मजदूरी
	दैनिक	मासिक
चपड़ासी, आफिस ब्वाय, मसालची	रु0 275.00 प्रतिदिन	रु0 8,250 ∕ −
		प्रतिमाह
अर्ध-कुशल कर्मकारः		
कैश कलेक्टर, अएसीसटेन्ट स्टोर कीपर, एसीसटेन्ट स्टोर	रु० 283.47 प्रतिदिन	रु0 8,504 ∕ −
मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।		प्रतिमाह
3. कुशल कर्मकार :		
इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाऊन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर	रु० ३१९.१७ प्रतिदिन	रु0 9,575 ∕ —
ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।		प्रतिमाह
4. उच्च कुशल कर्मकार :		
सुपरवाईजर, सुपरिन्टेंडेंट, स्टैनोग्राफर, एकाऊन्टेन्ट	रु० ३७९.५० प्रतिदिन	₹0 11,385
-		प्रतिमाह

टिप्पणी :

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — (कमलेश कुमार पंत) प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)। [Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-L dated 21-07-2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

1. AGRICULTURE:

No. Shram (A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "Agriculture" may be revised with effect from 01-04-2020;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated **24-04-2018**;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020**.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. 275/- per day or Rs. 8,250/-per month w.e.f. 1-4-2020.

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:—

(i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.). [Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L, dated 21^{st} July, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING:

No. Shram (A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated **24-04-2018**;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020.**

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1-4-2020.

Category of Workers

Revised Wages

		8
1	Daily 2	Monthly 3
UNSKILLED WORKERS:	Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimini Cleaner/Chowkidar/Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/ Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/ Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen/ Electrical Coolie/Security Guard/Beldar/Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/ Majdoor/Survey Boy/Watchmen/Tea Boy/Peon/Dresser/Oilmen/Greaser/Messhelpers/Boy Helper (0 to 5 years)/Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/Mucker.	275.00	8,250/-
SEMI-SKILLED WORKER: Carpenter Grade-II/Mason Grade-II/Sewer Man/Black Smith Grade-II/Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/Craneman/Badhani/Upholster/Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/Caneman/Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/Flour Polisher/Stone Dresser/Mali/Well Sinker/White Washer/Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/Assistant Fireman/ Assistant	Rupees 292.00	Rupees 8,760/-

Welder/ Assistant Turner/ battery Charger/ Dresser/ (Qualified/Experienced)/Hammer Man/ Cook/ Vulcaniser/Nozzle Man/Tunnel Man/Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/Tunnel Jubliman/Tunnel Man/Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/ Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/ Motor Mate/Enquiry Attendant/ Telephone Attendant.

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = Rs. 1630.42 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 1818.64 per 100 cft.

SKILLED WORKERS:

Carpenter Grade-I/Mason Grade-I/Black Smith/ Sanitary Fitter Grade-I/Upholster Grade-I/Asstt. Pump Operator/ Pump Operator/Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter/Carpenter Grade-II/Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/Darji or Tailor Grade-II/ Crasher Driver/Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/Mixer Driver/Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/Workshop Fitter/Generator Operator/Generator Driver/Plant Shop Fitter/Diesel Engine Fitter/Trolley Line Fitter/ Crushing Plant Fitter/B. Plant Fitter/Jack Hammer Fitter/Electrical Fitter/Bunch Fitter/Shaper/Auto Fitter/Pipe Line Fitter/Refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/Kochring Operator/ Dozer Operator/Roclain Operator/Scrapper Operator/Loader Operator/Crane Operator/Eucild Operator/Wagon Drill Operator/Boaring Operator/SLD crane Operator/B. Plant Operator/Ice Plant Operator or Welder/Gas Cutter /turner/Black Smith/ Tin Smith/Traction Battery Charger/ Line Man/ Telephone Operator/Khalsi/Jamadar/Winder/ Blaster Driller/Winch Fitter/Compounder/Painter/ Miller/ Climber/Moulder/ Levellers/Saw Mill Cutter/ Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi (8 years to above)/Tracer Operator/ E.M.E./ Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator/Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate/Tractor Driver/ Telephone Mechanic/D.G. Set Operator/ Workshop Forman Grade-II.

HIGHLY SKILLED

Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/Chargeman Grade-I/Workshop Foreman Grade-I/Turner Grade-I/Mechanic All Round Operator/Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/ Surveyor/Draftsman/Assistant Foreman/Machinist/Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/Auto Electrician/Electrician/Chemical Analyser.

Rupees 319.17 **Rupees** 9.575/-

Rupees Rupees 379.50 11,385/-

Clerical and Non-Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work	319.17	9,575/-
Inspector/Store Keeper/Store Munshi/ Supervisor/Meter		
Reader/ Ledger Booking Clerk/Bill Clerk/Irrigation Booking		
Clerk/Patwari/Complaint Attendant/Ferro Printer/Driver		
(Jeep/Car/Tractor) Clerk/Mechanical Inspector/Assistant		
Store Keeper/ Accounts Clerk/Stenographer.		

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-L, dated 21-07-2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT:

No. Shram (A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Public Motor Transport" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-05-2020 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2020.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2020 as under:—

GENERAL STAFF UNSKILLED:

(a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter, Daftri

Rs. 275/- per day or Rs. 8,250/- per month

- (b) Workshop Staff (Un-skilled)
- (c) Workshop Mazdoor without having any experience

SEMI-SKILLED:

1. Asstt. Electrician

Rs. 285.17 per day or Rs. 8,555/- per month

- 2. Asstt. Mechanic
- 3. Asstt. Fitter

- 4. Asstt. Black Smith
- 5. Asstt. Carpenter
- 6. Asstt. Welder
- 7. Asstt. Turner
- 8. Asstt. Boaring Barman
- 9. Asstt. Machinist
- 10. Asstt. Cushion Maker
- 11. Asstt. Volcanisor
- 12. Asstt. Painter
- 13. Asstt. Upholster
- 14. Asstt. Tyreman
- 15. Asstt. Sprayman
- 16. Asstt. Electrician Mechanic
- 17. Asstt. Retrader
- 18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma.
- 19. Assistant Moulders

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 311.52 per day or Rs. 9,346/- per month.

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor.

Rs. 345.50 per day or Rs. 10,365/- per month.

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno Typist, Store day book Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant. Rs. 311.52 per day or Rs. 9,346/- per month.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

Head Assistant Head Clerk Auditor Head Cashier

Part-Time Booking Clerk

Rs. 327.50 per day or Rs. 9,825/- per month.

Rs. 386.25 per day or

Rs. 168.72 Rs. 5,062/-

Group-C

Tieda 715515taint, Tieda Cierk, 71dattor, Tieda Casiner		Rs. 11,588/- per mont	
RUNNING	G STAFF:	Per Day	Permonth
1.	Driver	Rs. 349.12	Rs. 10,474/-
2.	Conductor	Rs. 318.60	Rs. 9,558/-
3.	Cleaner-cum-Conductor	Rs. 298.12	Rs. 8,944/-

NOTE:

4.

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of un-skilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An un-skilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L, dated 21st July, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21 July, 2020

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT:

No. Shram (A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Shops & Commercial Establishments" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020.**

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2020.

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un-skilled:	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/	Rs. 275/-Daily	Rs. 249.47 Daily
Peon/Sweeper/Masalchi/Gateman/Waterman/	•	•
Cleaner/ Packer/Mazdoor/ Lander/ Unlander/	or	or
Messanger/ Clock Room Attendant/ Porter/		

Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.

Rs. 8,250/ Rs. 7,484/- Monthly Monthly.

Semi-Skilled

Head Porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema)/Asstt. Lineman/Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector/Convesser/ Cook/Assistant Halwai/Book Binder/Sticher/ Rulling-Cutting/Auctioners/Mali/Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/Assistant Fitter/Assistant Turner/ Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi, Pressman/ Boilerman/Film Rewinder/ Waiter, Bearer, Machanic/Painter/White Assistant Radio Washer/Pakora and Chana maker/Clerk (Non-matric). Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machineman/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent, ITI Certificate Holder.

RupeesRs. 290.55 Daily
Rs. 264.12 Daily

Rs. 8,717/- Rs.7,924/- Monthly Monthly.

Skilled:

Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/ Carpenter/Plumber/Driver/ Assistant Tailor/ Cutter (Tailoring)/General Confectioner/ Mechanic/Halwai/Cook/ Baker/Steward/Butler/Fitter/Draughtsman/ Telephone Operator/Compounder/ Goldsmith/Shoe Maker/Shawl-Carpet Weaving/Compositor/Cinema Operator/ Salesmen/Drycleaner/Dyer/ Barber/Regular Machineman/Machinist/Welder/ Moulder/ Cashier/Clerk/(Matric) Munim/ Receptionist/ Waiter/Bearer/ Storekeeper/ Headwaiter/ Head Bearer (Western Style Hotels)/ Lineman. ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rupees Rupees

Rs. 319.17 Daily Rs. 293.37 Daily

Rs. 9,575/- Rs. 8,801/- Monthly.

Highly Skilled

Store Keeper/ Clerks (Graduates)
Accountant /Head Cashier/ Head Cook/
Head Butler/Head Baker/ Head
Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/
Foremen/Supervisor/ Tailor/Cutter
(Tailoring).

Rupees	Rupees
Rs. 332.12	Rs. 307.40 daily
Daily.	Ž
Rs. 9,964/-	Rs.9,222/-
Monthly	Monthly

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).

- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi skilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) Un-skilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L, dated 21st July, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

5. FORESTRY INDUSTRIES:

No. Shram (A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Forestry Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated **24-04-2018**;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020.**

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

	Category of Workers Revised Minimum Wa		num Wages
		Daily	Monthly
	UNSKILLED WORKERS:		
1.	Felling of trees:	Rs. 275.00	Rs. 8,250/-
	1. Lopper (Changi)	Rs. 290.55	Rs. 8,717/-
	2. Feller (Garani)	Rs. 281.12	Rs. 8,434/-
2.	Logging and sawing including timber passing:		
	 Dresser (Panchani) Sawyer (Charani) Blacksmith 	Rs. 281.12 Rs. 345.50 Rs. 324.40	Rs. 8,434/- Rs. 10,365/- Rs. 9,732/-
3.	Carriage stacking and timber passing by manual labour:		
	 Mazdoor for carriage Mazdoor for loading and unloading of timber 	Rs. 281.12 Rs. 281.12	Rs. 8,434/- Rs. 8,434/-
4.	Carriage of timber by Aerial ropeways:		
	1. Span Mistry-cum-Supervisor	Rs. 345.50	Rs. 10,365/-
	2. Span Mistry	Rs. 324.40	Rs. 9,732/-
5.	Carriage by water slide (pucci Nalli) dry slide (Pathru), (River floating):	Nullah Bhaan	Darya Bhaan
	1. Mohri-wala Mistry	Rs. 370.15	Rs. 11,105/-
	2. Taru	Rs. 355.27	Rs. 10,658/-
	3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 332.12	Rs. 9,964/-
	4. Darya-man	Rs. 355.27	Rs. 10,658/-

	राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2020	/ 05 श्रावण, 1942	2159
	5. Ghalu	Rs. 302.17	Rs. 9,065/-
	6. Jamadar	Rs. 302.17	Rs. 9,065/-
6.	Mechanised logging and timber extraction:		
	1. Surveyor	Rs. 347.57	Rs. 10,427/-
	2. Ski-line Operator	Rs. 324.40	Rs. 9,732/-
	3. Truck Driver	Rs. 304.30	Rs. 9,129/-
	4. Compressor Driver	Rs. 304.30	Rs. 9,129/-
7.	Clerical Staff:		
	1. Manager	Rs. 400.12	Rs. 12,004/-
	2. Accountant	Rs. 308.97	Rs. 9,269/-
	3. Munshi/ Typist clerk	Rs. 281.12	Rs. 8,434/-
8.	Saw Mill Workers:		
0	 Band Saw Mistry Supervisor Head Mistry Boiler Driver Assistant Mistry Planner Mistry Helper Cutter man 	Rs. 324.40 Rs. 321.29 Rs. 324.40 Rs. 324.40 Rs. 285.17 Rs. 285.17 Rs. 281.12 Rs. 281.12	Rs. 9,732/- Rs. 9,639/- Rs. 9,732/- Rs. 9,732/- Rs. 8,555/- Rs. 8,555/- Rs. 8,434/- Rs. 8,434/-
9.	Katha Extraction:		
	 Feller and Chipper Katha Supervisor/Katha Processor 	Rs. 281.12 Rs. 280.55	Rs. 8,434/- Rs. 8,417/-

Highly Skilled:

Boiler Attendant (1st Class) Overseer, Head Foreman= Rs. 379.50 Daily or Rs. 11,385.00 Monthly.

NOTE:

There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

- Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 2. of 1961).
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-L, dated 21st July, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS:

No. Shram (A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Chemical & Chemical Products" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated **24-04-2018**;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **31-05-2019** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020.**

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers

Revised minimum rates

Unskilled: Rs. 275.00 Daily

Rs. 8,250/- Monthly

Semi-Skilled:

Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copperman, Reirrigation, Assistant, Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market Seller/Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.

Rs. 283.47 Daily

Rs. 8,504/- Monthly

Skilled

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant Operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-Keeper ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 379.17 Daily

Rs. 9,575/- Monthly

Highly Skilled:

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman

Rs. 319.50 Daily Rs. 11,385/- Monthly

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).

- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Un-skilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L, dated 21st July, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

7. ENGINEERING INDUSTRIES:

No. Shram (A) 4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Engineering Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2020.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated **24-04-2018**;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020**.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-skilled:

Rs. 275.00/- Daily Rs. 8,250/- Monthly

Semi-skilled:

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machineman, Machinist/Operator Grade-III/, Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numberingman, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tinsmith Grade-III, Pipe Reader, Hammerman Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Rs. 283.47 Daily Rs. 8,504/- Monthly

Skilled:

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book Screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil Winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs. 319.17 Daily Rs. 9,575/- Monthly

Highly Skilled:

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaperman Grade-I, Slaughter Man Grade-I, Miller Grade-I, Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye Maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I.

Rs. 379.50 Daily or Rs. 11.385/-Monthly.

Clerical Staff:

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 295.02 Daily or Rs. 8,851/- Monthly.

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L dated 21st July, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

8. TEA PLANTATION:

No. Shram (A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Tea Plantation" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2020;

And whereas as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018.

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2020.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers Revised Minimum Wages

Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hocing, pruning weeding, plucking *etc*. known as unskilled workers employed in the operation.

Rs. 275.00 Daily or Rs. 8,250/- Monthly.

A-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 19.89 per kilogram extra as incentive.

B-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 15.74 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 11.73 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 19.89, Rs. 15.74 and Rs. 11.73 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. **Rs. 279.57** per day or Rs. **8,387**/- per month.

FACTORY:

Include lift Mazdoor withering Mazdoor, relling room workers, shifting Mazdoor, Fermenting room workers, tea boys, sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli).

Rs. 275.00 daily or Rs. 8,250/- Monthly

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Muharirs etc. who maintain records of a field work and also includes Sweeper, Mali & Mate.

Rs. 275.00 daily or Rs. 8,250/- Monthly

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF:

OFFICE STAFF:

1.	Accountant	Rs. 420.22	Rs. 12,607/- per mo accommodation.	nth plus free
2.	Clerks	Rs. 319.17	Rs. 9,575/- per mon accommodation.	nth plus free
3.	Munshi	Rs. 334.53	Rs. 10,036/- per mo benefits as admissible t	-
4.	Peon, Chowkidar/ Chaudhary	Rs. 279.57	Rs. 8,387/- per mon benefit as admissible.	nth plus free
			Daily N	Monthly
5.	Compounder		·	Rs.11,678/-
6.	Driver (Jeep/Car/Tractor)			Rs. 10,474/-
7.	Mechanic		Rs. 392.40	Rs. 11,772/-
8.	Assistant Mechanic		Rs. 347.57	Rs. 10,427/-
9.	Electrician- <i>cum</i> -Mechanic, Grade-I		Rs. 392.40	Rs. 11,772/-
10.	Electrician- <i>cum</i> -Mechanic, Grade-II		Rs. 347.57	Rs. 10,427/-

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).

- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled will be as:

- (i) Un-skilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L, dated 21-07-2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948:

No. Shram (A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2020.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020**.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Unskilled Workers Rs. 275 per day or Rs. 8,250/- per month

Semi-Skilled Rs. 283.47 per day or Rs. 8,504/- per month

Skilled & Clerical Staff Rs. 319.17 per day or Rs. 9,575/- per month

Highly-Skilled Rs. 379.50 per day or Rs. 11,385/- per month

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-Skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

> By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L, dated 21-07-2020, as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

10. **HOTEL AND RESTAURANTS:**

No. Shram (A)4-2/2018-L.— Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Hotel and Restaurants" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-05-2020 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2020.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:-

Revised Wages Category of Workers Where no benefit is Where food, tea provided and combined

accommodation provided

UN-SKILLED: Rupees Rupees

Helper/Chowkidar/Peon/ Sweeper/Masalachi/ **Rs. 275.00 Daily Rs. 249.47 Daily** Gateman/Waterman/ Messenger/Clock Room Attendant/ Poter/Bhishti/Beldar/Fireman/Pandi/ 8,250.00 Rs. 7,484/- Monthly Rs. Posterman/any worker doing un-skilled job. **Monthly**

SEMI-SKILLED WORKER: Rupees Rupees

Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman/ Assistant Baker/Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners/ Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Barber/ Assistant Dhobi. Pressman/ Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer/ Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric), Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machinman **Enquiry** Attendant, Telephone Attendant ITI certificate holder who are working in the other trade.

Rs. 290.55 Daily Rs. 265.11 Daily or Or Rs. 8,717/- Monthly Rs. 7,953/- Monthly

SKILLED WORKERS:

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/Draughtsman/Telephone Operator/Receptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/ Head Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel) ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 319.17 Daily Rs. 293.37 Daily

or or Rs. 9,575/- Monthly Rs. 8,801/- Monthly

Rupees

Highly Skilled:

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant/ Head Cashier/ Head Cook/Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/Foremen/ Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring).

Rupees Rupees

Rs. 332.12 Daily Rs. 307.40 Daily or or Rs. 9,964/- Monthly Rs. 9,222/- Monthly

NOTE:

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

Rupees

- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-L, dated 21-07-2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES:

No. Shram (A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Private Educational Institutes" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2020.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020**.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Unskilled Workers Rs. 275.00 per day or Rs. 8,250/- per month

Semi-skilled Rs. 290.55 per day or Rs. 8,717/- per month

Skilled Rs. 319.17 per day or Rs. 9,575/- per month

Highly skilled Rs. 332.12 per day or Rs. 9,964/- per month

NOTE:

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.). [Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-L, dated 21st July, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

12. HYDRO POWER PROJECTS:

No. Shram(A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hydro Power Projects" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2020.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020.**

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum	Wages
	Daily	Monthly
UN-SKILLED WORKERS:	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump	275.00	8,250/-

Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman / Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, 292.00 Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Electrician, Mali.

292.00 8,760/-

SKILLED WORKERS:

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, 319.17 Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non-Technical Supervisor (Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai (more than 5 years experience), Dhobi.

319.17 9,575/-

HIGHLY SKILLED:

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior

379.50 11,385/-

A.C. Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-L, dated 21st July, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES:

No. Shram(A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Pharmaceuticals' Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No.Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020**.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Daily	Wages Monthly
Unskilled:		
Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs. 275.00	Rs.8,250/-
Semi-Skilled:		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs.283.47	Rs. 8,504/-

Skilled;

Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Rs. 319.17 Rs. 9,575/-Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.

Highly Skilled:

Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, Medical and Sales Representatives, B. Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist, Stenographer.

Rs. 379.50

Rs. 11,385/-

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.). [Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-L, dated 21-07-2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

14. HOSPITALS/NURSING HOMES & CLINICS:

Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver,

No. Shram(A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hospitals/Nursing Homes & Clinics" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No.Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020.**

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un-skilled:	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar/Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy, Masalchi.	275.00 Daily 8,250/-Monthly	249.47 Daily 7,484/- Monthly
Semi-Skilled; Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Guard, Sweeper, Operation Theatre Assistant, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant. Ward Boy/Ward Attendant (3-0 years service). Skilled:	290.55 Daily 8,717/- Monthly	264.12 Daily 7,924/-Monthly
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai,	319.17 Daily	293.37 Daily
Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant	9,575.00 Monthly	8,801/- Monthly

CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy/Ward Attendant (above 3 years Service).

Highly Skilled:

Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder. Accountant, Stenographer.

332.12 Daily 307.40 daily

Stenographer. 9,964/- Monthly 9,222/-Monthly

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.). [Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L, dated 21st July, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

15. DOMESTIC WORKERS:

No.Shram(A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Domestic Workers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No.Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020.**

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Unskilled:	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman, Washerman.	275.00 Daily 8,250.00 Monthly	221.00 Daily 6,630/- Monthly
Semi-Skilled:		
Security Guard, Mali	290.55 Daily 8,717/-Monthly	231.88 Daily 6,956/- Monthly
Skilled:		
Cook, Driver	319.17 Daily 9,575/- Monthly	251.92 Daily 7,558/- Monthly

NOTE:

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.

- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L, dated 21-07-2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

16. SAFAI KARAMCHARI EMPLOYMENT:

No.Shram(A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Safai Karamchari Employment"

may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No.Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018.

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020.**

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Wages	
Unskilled:	Daily	Monthly
Sweeper/Safai Karamchari, Beldar, Cartman	Rs. 275.00	Rs. 8,250/-
Semi Skilled :		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 283.47	Rs. 8,504/-
Skilled:		
Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 319.17	Rs. 9,575/-
Highly Skilled;		
Jr. Engineer, Sanitary Inspector, Stenographer	Rs. 379.50	Rs. 11,385/-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L, dated 21-07-2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

17. SECURITY SERVICES:

No. Shram(A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Security Services" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020.**

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-Skilled:	Daily	Monthly
Helper, Watchman	Rs. 275.00	Rs. 8,250/-
Semi-Skilled:		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 283.47	Rs. 8,504/-
Skilled;		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 319.17	Rs. 9,575/-
Highly Skilled:		
Security Officer, Security Manager, Stenographer, Accountant.	Rs. 379.50	Rs. 11,385/-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25% increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.

7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Skilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L, dated 21st July, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2020

18. TEMPLES AND RELIGIOUS PLACES/DHARAMSHALAS:

No. Shram(A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Temples and Religious Places/Dharamshalas" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Unskilled	Rs.	Rs.
Peon, Masalchi, Office Boy, Beldar	275.00 Daily	249.47 Daily
	8,250.00 Monthly	7,484/- Monthly
Semi-Skilled:		
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest	290.55 Daily	264.12 Daily
Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	8,717/- Monthly	7,924/- Monthly
Skilled:		
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Padri,	319.17 Daily	268.37 Daily
Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	9,575/- Monthly	8,801/- Monthly
Highly Skilled:		
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan Singer, Stenographer, Accountant.	332.12 Daily	307.40 Daily
	9,964/- Monthly	9,222/- Monthly

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled:—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled:—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled:—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order, Sd/-(KAMLESH KUMAR PANT), Principal Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L, dated 21st July, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2020

19. WORKERS WORKING IN TOLL TAX BARRIERS:

No. Shram(A)4-2/2018-L.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Workers Working in Toll Tax Barriers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2020;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-05-2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2020.**

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of Section of 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2020 as per recommendations of the said Committee as under:—

	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled Workers :		
Peon, Office Boy, Masalchi	Rs. 275.00	Rs. 8,250/-
Semi-skilled:		
Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard, Complaint Attendant.	Rs. 283.47	Rs. 8,504/-
Skilled:		
Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 319.17	Rs. 9,575/-
Highly-Skilled:		
Supervisor, Superintendent, Stenographer, Accountant.	Rs. 379.50	Rs. 11,385/-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

		By order
		Sd/-
(KAMLESH K	UMAI	R PANT)
Principal Secretary	(Lab.	& Emp.).

In the Court of Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Om Prakash s/o Sh. Nanhe Ram, r/o Navrattan Guest House, Chhota Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.) . . . *Applicant*.

Versus

General Public .. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Om Prakash s/o Sh. Nanhe Ram, r/o Navrattan Guest House, Chhota Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of his wife namely PUSHPA (DOD 15-07-2010) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 days from the date of publication of this notice in official Gazette, and no objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 17 July, 2020.

Seal.

MANJEET SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्रीमती वीना ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 11/2020

तारीख दायर : 16-07-2020

श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री शंकर दास नेगी, निवासी गांव खमाडी, डाकघर खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

ं प्रतिवादी।

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता / खतौनी नं0 35 / 82, कित्ता—04 कुल रकबा 01—74—92 है0 वाका चक खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री शंकर दास नेगी, निवासी गांव खमाडी, डाकघर खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख खमाडी में प्रार्थी का नाम भूपेन्द्र कुमार सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 35/82, किता—04 कुल रकबा 01—74—92 है0 वाका चक खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०) की मलकियत में भूपेन्द्र सिंह दर्शाया गया है। जो कि गलत है जबिक प्रार्थी का सही नाम भूपेन्द्र कुमार है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल परिवार, आधार कार्ड, शपथ—पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में भूपेन्द्र सिंह के स्थान पर भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपेन्द्र कुमार दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपेन्द्र कुमार दुरुस्त / दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16—08—2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 16-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत श्रीमती वीना ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री शंकरदास नेगी, निवासी गांव खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)। बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरखास्त श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री शंकरदास नेगी, निवासी गांव खमाडी, डाकघर खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड के महाल, उप—महाल खमाडी के राजस्व रिकार्ड में भूपेन्द्र सिंह दर्ज है। जो कि गलत है प्रार्थी जिसे भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री शंकरदास नेगी दुरुस्त करवाना चाहता है पुष्टि हेतु नकल जमाबन्दी सम्बन्धित शपथ—पत्र व आधार कार्ड, पहचान—पत्र व नकल परिवार रजिस्टर संलग्न किया गया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूेपेन्द्र कुमार के नाम दुरुस्ती बारे कोई आपित्त हो तो वह दिनांक 16—08—2020 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपित्त दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती बारा सम्बन्धित गिरदावर हल्का को राजस्व कागजात में अमलद्रमाद हेतु आदेश पारित किए जाएंगे।

आज तारीख 16-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि०प्र०)।

In the Court of Sh. Ramesh Chand, Executive Magistrate, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H. P.)

Sh. Sudarshan Bali s/o Sh. Khem Chand r/o Village Bhawara, P.O. Chekul, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) . . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Sudarshan Bali s/o Sh. Khem Chand r/o Village Bhawara, P.O. Chekul, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his son namely Mr. Tushar Bali as well as date of birth *i.e.* 23-10-2006 in the Gram Panchayat Janjailly, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to name & date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 17-08-2020 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 15-07-2020.

Seal.

RAMESH CHAND,

Executive Magistrate,

Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P.